



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 171/2017 धारा- 354ए,457,376 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल पुत्र सिद्धगोपाल निवासी ग्राम छिबौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विशम्भर
सिंह



विवेचक-
उ०नि० श्री रावेन्द्र
कुमार



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे०का० मनोज कुमार